

तनकी पत्रावली दि 9-3-18 को पेश हो।

3

9-3-18 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/पतिवादी/
अपीलार्थी/रेस्पोंडेंट/पार्थी/अपार्थी/उभयपक्ष
उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन
अधिकारी भ्रमण पर ~~अपस्थित~~ पर हैं/अन्य
कारणों में व्यस्त हैं/ ~~अपस्थित~~ हो गया है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9-3-18
को पेश हो।

रीडर

9-3-18 वकील उभयपक्ष उपर) वादी कायमी तनकी
पत्रावली दि 9-3-18 को पेश हो

28-3-18 पत्रावली पेश हुई/अभिभावक संघ ने न्यायिक
कार्य का बहिष्कार किया है। श्रीमान् पीठासीन
अधिकारी भ्रमण पर हैं/अन्य कारणों में व्यस्त हैं।
अतः पत्रावली
गतादेशानुसार दि 24-4-18 को पेश हो।

रीडर

24-4-18 वकील उभयपक्ष उपर) वादी कायमी तनकी पत्रा
दि 8-5-18 को पेश हो।

पत्रावली

8-5-18 वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। पत्रावली दि 16-5-18
को राजस्व लोक अदालत कैम्प कामन खडौदा पर
रखी जावे। पक्षकारों को सूचित किया जावे।

उप जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी

इन्द्राज
प्रकाश

16-5-18 पत्रावली आज राजस्व लोक
अदालत कैम्प कामन खडौदा पर पेश हुई।
वादी इन्द्राज व प्रकाश उपस्थित हैं। वादीगण
ने वाजीनामा इस आशय का प्रस्तुत किया
है कि वादीगण की भूमि खंनं 223
039

प्रकाश वर्मा बनाम हरक सिंह वर्मा
दावा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

प्रतिवादीगण
कायमी
शाही।
3

गाम थली का कीमानान तहसीलदार जी के
नेतृत्व में पटवारी हलका व गिरदावर की टीम
से करवा कर वादीगण को सीमा चिन्हों से
संज्ञित करवा दिया जावे। यदि वादीगण की
भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है
तो वादीगण को नया दावा पेश करने की छूट
के साथ उक्त दावे को विद्वान के आधार पर
निर्णित कर दिया जावे। वादी सं० ३ की भी इसमें
सहमति है जिसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं।

उपरोक्त राजीनामा स्वीकार किया जाता
है एवं दावे का निर्णय किया जाता है तथा आदेश
दिया जाता है कि तहसीलदार गंगापूर सिटी
स्वयं के नेतृत्व में पटवारी हलका व I.L.R. की
एक टीम गठित कर वादीगण को उनकी स्वादेदारी
की भूमि सं० २२३ रकबा ३९ अथवा गाम
थली का एक माह में आवश्यक रूप से सीमानान
करा देवे। कीमानान में यदि वादीगण की भूमि
प्रतिवादीगण के दबी हुई पाई जाती है तो वादीगण
जमीन वापसी के लिए नवीन बाद लाने को
स्वतंत्र रहेंगे। पत्रा डिक्री जारी किया जावे।
पालना हेतु तहसीलदार गंगापूर सिटी को
लिखा जावे। पत्रावली क्रैसल नुमांर डीकर नम्बर
से कम ही एवं बाद तकमील कारखिल दफतर हो

नकी

पत्रा०


4255-4264


16-5-18


वा पर

लेक्टर

लोक
शाही
वादीगण


(रवि कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापूर सिटी


(सतीश कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापूर सिटी


(बाबूलाल जाय)
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापूर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी